न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 206/14</u>

निर्णय दिनांकः— 18—01—2021
(आरसीएमएस संख्या 2014/00108)

1. भँवरू पुत्र गीगाराम जाति माली निवासी चक 4 डीओ तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. बरकतअली पुत्र खाजूखॉ सिंह मुसलमान निवासी भानसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04—12—2009
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 04—12—2009 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि चक 4 डीओ के मुरब्बा नम्बर 7/29 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 02—02—1984 को आवंटित की गई थी। जिसे सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छत्तरगढ़ द्वारा कब्जे के अभाव में दिनांक 04—07—1987 को पटवारी की मौखिक रिर्पोट के आधार पर खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील संख्या 80/2000 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रिमाण्ड की गई। उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ द्वारा दिनांक 14—03—2012 को तहसीलदार, छत्तरगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए जिसमें वादग्रस्त भूमि मौके पर खाली तथा राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज होना अंकित किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त स्थिति के बावजूद अपीलांट का आवंटन खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के व बिना वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर विशेष आवंटन किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को जैर अपील अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी ना ही आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी की भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Saxena
Date: 2021.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल रखते हुए अपीलांट के आवंटन के राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 4 डीओ के मुरब्बा नम्बर 07/29 के आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत यथा भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीलिंग सीमा से भूमि कम होने का शपथ पत्र, निर्वाचन सूची आदि प्रस्तुत किये गये। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व संबंधित पटवारी से नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने तथा रकबा भंवरू पुत्र गीगा को पुख्ता आवंटन एवं वर्तमान में खारिज होने व गजट वर्ष 1999 में प्रकाशित होने का अंकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पो. संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट के वादग्रस्त भूमि के आवंटन का प्रश्न है, अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया जा चुका है। उक्त खारिजी आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24—06—2014 को अपीलांट की अपील कब्जे के संबंध में खसरा गिरदावारी, तावान की रसीद, नाजायज काश्त के नोटिस व पड़ौसी काश्तकारों के शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने व वादग्रस्त भूमि गजट में प्रकाशित होने के आधार पर खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि अपीलांट के हक व हकूक समाप्त हो चुके है। अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि बतौर भूमिहीन आवंटित की गई थी जबकि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण उक्त भूमि अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर अपने हक व हकूक साबित करने में निरन्तर असफल रहे है। लिहाजा अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ—साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—12—2009 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 14—08—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया प्रस्तुत किया गया है। जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.22 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 4 डीओ मुरब्बा नम्बर 07/29 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बतौर विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि चक 4 डीओ के मुरब्बा नम्बर 07/29 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि वर्ष 1984 से आवंटित भूमि है तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तथा तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को दरकिनार करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, जो निरस्त फरमाया जावे।

(4) इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट के हक व हकूक समाप्त हो चुके है तथा वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त ही अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही चक 4 डीओ के मुरब्बा नम्बर 07/29 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है तथा आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानेराज में जमा करवाते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम अधिकार प्राप्त किये जा चुके है तथा वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(5) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को वर्ष 1984 में बतौर भूमिहीन आवंटित की गई थी। परन्तु कालान्तर में अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज होने व उक्त खारिजी आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24—06—2014 को अपीलांट की अपील कब्जे के संबंध में खसरा गिरदावारी, तावान की रसीद, नाजायज काश्त के नोटिस व पड़ौसी काश्तकारों के शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने व वादग्रस्त भूमि गजट में प्रकाशित होने के आधार पर खारिज की जा चुकी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(6) प्रकरण में जहाँ तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से मौके व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने तथा रकबा भंवरू पुत्र गीगा को पुख्ता आवंटन एवं वर्तमान में खारिज होने व गजट वर्ष 1999 में प्रकाशित होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण हो चुकी है।

(8) चूंकि वादगत् भूमि के अपीलांट को आवंटन पश्चात् कब्जे के अभाव में खारिज होने व कालान्तर में न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि किसी भी स्थिति में अपीलांट को बतौर भूमिहीन प्राप्त नहीं हो सकती। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक समाप्त होने के उपरान्त ही उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट [illegible] को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वाद[illegible] भी खजानाराज में जमा करवाई जा [illegible]लांट पूर्ववर्ती आवंटन का सहारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लेकर उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–12–2009 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18–01–2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested